झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान-सभा

द्वितीय (बजट)-सत्र

वर्ग- 02

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक-27 फाल्गुन,1941(श0) .....को 17 मार्च, 2020 (ई0)

झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे।

क्रमांक	विभागों को भेजी गयी सां0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1-	2.	3.	4.	5.	6.
93.	अ0सू0-41	श्री सरयू राय	तकनीकी गुणवता की जाँच।	सूचना प्रौद्यो0 एवं ई. गवर्नेंस	12.03.20
94.	अ0सू0-27	श्री किशुन कुमार दास	प्रज्ञा केन्द्र चालू कराना।	सूचना प्रौद्यो0 एवं ई. गवर्नेंस	03.03.20
95.	अ0सू0-25	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह,	वेतनमान देना	स्कूली शि0 एवं साक्षरता	03.03.20
96.	अ0सू0-28	श्री भानु प्रताप शाही	लघु उद्योग को प्रोत्साहन देना।	उद्योग	05.03.20
97.	अ0सू0-30	श्री कमलेश कुमार सिंह	बालू का सुलभ उठाव।	खान एवं भू0वि0	06.03.20
98.	अ0सू0-40	श्री बिरंची नारायण	कानून लागू कराना।	स्कूली शि0 एवं साक्षरता	11.03.20
99.	अ0सू0-10	श्री प्रदीप यादव	लंबित मामले का निष्पादन।	स्कूली शि0 एवं साक्षरता	24.02.20

1-	2.	3.	4.	5.	6.
100.	अ0सू0-15	श्री अनन्त कुमार ओझा	शिक्षा व्यवस्था में समानता लाना।	स्कूली शि0 एवं साक्षरता	25.02.20
101.	अ0सू0-39	श्री बिरंची नारायण	तकनीकी विश्व विद्यालय खोलना।	उच्च तक0 शि0एवं कौ0वि0	11.03.20
102.	अ0सू0-31	श्री दशरथ गागराई	सफल अभ्यर्थियों को नियुक्त करना।	स्कूली शि0 एवं साक्षरता	06.03.20
103.	अ0सू0-38	श्री बलिन सोरेन	वेतन का भुगतान	स्कूली शि0 एवं साक्षरता	07.03.20
104.	अ0सू0-02	श्री मथुरा प्रसाद महतो	ग्राम सभा को पूर्ण अधिकार देना।	खान एवं भू0	23.02.20
105.	अ0सू0-29	श्री दीपक बिरुवा	बोधियों पर कार्रवाई।	पर्या0क0सं0 खे0एवं युο का0	05.03.20
106.	अ0सू0-23	श्री प्रदीप यादव	राशि की वसूली करना।	खान एवं भू0	02.03.20
107.	अ0सू0-33	श्री राज सिन्हा	कमल कल्व का गठन एवं आर्थिक सहायता देना।	पर्या0क0सं0 खे0एवं युο का0	06.03.20
108.	अ0सू0-16	श्री मनीष जायसवाल	विश्व विद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई शुरू कराना।	उच्च0 तक0 शि0एवं कौ0	25.02.20

रॉची,
दिनांक- 17 मार्च, 2020(ई0)।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, रॉची।

ज्ञापांक सं0- प्रश्न- 03/2020...1041.../वि0स0, रॉची, दिनांक- 14/03/2020

प्रति :- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/ मा0 मंत्रिगण/ मा0 संसदीय कार्य मंत्री/ मा0 नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान-सभा/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

14.3.2020
(सुरेश रजक)
अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, रॉची।

ज्ञापांक सं0- प्रश्न- 03/2020...1041.../वि0स0, राँची, दिनांक- 14/03/2020

प्रति :- माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ एवं अपर सचिव, प्रश्न तथा संयुक्त सचिव, प्रश्न को सूचनार्थ प्रेषित।

14.3.2020
अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक सं0- प्रश्न- 03/2020...1041.../वि0स0, राँची, दिनांक- 14/03/2020

प्रति :- कार्यवाही शाखा, आश्वासन समिति शाखा प्रश्न ध्यानाकर्षण एवं अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति शाखा एवं वेबसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

14.3.2020
अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

विरंजन

14/03/2020

94

श्री किशुन कुमार दास, माननीय स0वि0स0 द्वारा दि0 ~~16.03.2020~~ 17.03.2020 को पुछा जानेवाला प्राप्त अ0सू0 प्रश्न संख्या–क्र–27 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र. सं.	अल्प सूचित प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के महत्वकांक्षी योजनाओं को पूरा करने के निमित्त वर्ष 2006–07 में तमाम पंचायतों के प्रज्ञा केन्द्रों में जनाकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से DIT/JAPIT/DEGS द्वारा सुविधायें प्राप्त करायी जा रही थी, जिसे अब बंद कर दिया गया है;	अस्वीकारात्मक। वर्ष 2006–07 से वर्ष 2016 तक सी0एस0सी0 1.0 परियोजना अन्तर्गत प्रज्ञा केन्द्रों का संचालन पी0पी0पी0 मोड के तहत किया जा रहा था। जिसके तहत प्रत्येक पंचायत में एक प्रज्ञाकेन्द्र खोले गये थे। वर्तमान में सी0एस0सी0 2.0 परियोजना चल रही है। जिसके तहत 14,500 प्रज्ञाकेन्द्र कार्यरत है। वर्तमान में प्रज्ञाकेन्द्रों का संचालन भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देश के आलोक में CSC-SPV (National Implementing Agency) एवं DeGS (District e-Governance Society) के माध्यम से किया जा रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि सभी प्रज्ञा केन्द्रों द्वारा जाति, आवासीय आय, जन्म–मृत्यु सामाजिक–सुरक्षा, वृद्धा आदि तमाम प्रकार के सरकारी प्रमाण–पत्र एवं गैर–सरकारी कार्य निःस्वार्थ भाव से संपादित किये जा रहे थे,	स्वीकारात्मक। वर्तमान में 14,500 प्रज्ञाकेन्द्रों द्वारा आमजनों को विभिन्न प्रकार की सरकारी सेवाएँ दी जा रही है। उक्त सेवा आमजनों द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क देकर प्रज्ञाकेन्द्र के माध्यम से प्राप्त करने का प्रावधान है।
3	क्या यह बात सही है कि प्रज्ञा केन्द्रों द्वारा करोड़ों रुपये की पूंजी लगाकर उक्त कार्य किये जा रहे थे, लेकिन इसपर सरकार द्वारा रोक लगा दिये जाने का कारण संचालक भुखमरी के कगार पर पहुँच गये हैं और उनके करोड़ों की मशीनें अर्थहीन हो गयी है;	अस्वीकारात्मक। प्रज्ञाकेन्द्रों के द्वारा वर्तमान में जाति प्रमाण–पत्र, आवासीय प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्र का कार्य किया जा रहा है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त व्यवस्था को पूर्णरूपेण पुनः चालू कर प्रज्ञा केन्द्र संचालकों को राहत देते हुए आमजनों की सुविधायें यथावत् करना चाहती है, हाँ तो कबतक, नही तो क्यों?	लागू नहीं।

झारखण्ड सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग

तृतीय मंजिल, झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, रांची–834004

ज्ञापांक : ITSec2/Vidha-Prshn-2/2020/IT 388 रांची, दिनांक : 13-03-2020

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके पत्रांक–684 / वि0स0, दि. 03.03.2020 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/03/2020

(अनुराग लकड़ा)
अवर सचिव।

(95)

581
16/03/2020

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–25

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है, कि राज्य में वित्त रहित इन्टरमिडिएट कॉलेज/स्थापना अनुमति प्राप्त उच्च विद्यालय, संस्कृत विद्यालय एवं मदरसा सहित 1250 शिक्षण संस्थान हेतु अनुदान दी जाती है ;</td><td>वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के वित्तरहित शैक्षणिक संस्थानों को झारखण्ड राज्य वित्तरहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004, नियमावली, 2004 तथा संशोधित नियमावली, 2015 तथा विभागीय संकल्प संख्या–1953 दिनांक 18.10.2014 में निहित प्रावधान के तहत् अनुदान स्वीकृत किया जाता है।
वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभिन्न स्तर के राज्य सरकार से स्थापना अनुमति प्राप्त/प्रस्वीकृति प्राप्त वित्तरहित शैक्षणिक संस्थानों की संख्या एवं अनुदान स्वीकृत का विवरण निम्नवत् है:–
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>संस्थान</th><th>राज्य सरकार से स्थापना अनुमति प्राप्त/स्थायी प्रस्वीकृत/प्रस्वीकृत संस्थानों की संख्या</th><th>कुल प्राप्त आवेदन</th><th>कुल स्वीकृत आवेदन</th></tr>
<tr><td>1</td><td>इंटर महाविद्यालय</td><td>176</td><td>162</td><td>130</td></tr>
<tr><td>2</td><td>माध्यमिक विद्यालय</td><td>329</td><td>247</td><td>166</td></tr>
<tr><td>3</td><td>संस्कृत विद्यालय</td><td>33</td><td>28</td><td>23</td></tr>
<tr><td>4</td><td>मदरसा</td><td>46</td><td>36</td><td>26</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल</td><td>584</td><td>473</td><td>345</td></tr>
</table>
प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर इन संस्थानों द्वारा ऑनलाईन आवेदन समर्पित किया जाता है। प्राप्त आवेदनों की समीक्षा कर विभागीय अनुदान समिति द्वारा अनुदान स्वीकृत/अस्वीकृत की अनुशंसा की जाती है। विभागीय अनुदान समिति की अनुशंसा के आलोक में अनुदान प्राप्ति हेतु सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करने वाले संस्थानों को जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से अनुदान राशि उपलब्ध करायी जाती है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है, कि वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करने की मांग कर रहे है,</td><td>वस्तुस्थिति यह है कि वित्तरहित शिक्षक संघ द्वारा वित्तरहित शिक्षा नीति समाप्त करने की मांग की गई है।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उच्च स्तरीय कमिटि बनाकर वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त कर, सेवा शर्त नियमावली बनाकर सभी वित्त रहित शिक्षक तथा शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवा सरकारी संवर्ग में करते हुए वेतनमान देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?</td><td>वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन सभी संस्थान निजी संस्थान है, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा सुदृढ़ीकरण एवं विकास हेतु मात्र अनुदान दिया जाता है। विद्यालय का संचालन विद्यालय प्रबंध समिति/शासी निकाय द्वारा किया जाता है।
झारखण्ड राज्य गठन के पूर्व राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में 813 सरकारी माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालित थे। वर्तमान में राज्य में कुल 2694 सरकारी विद्यालय संचालित है, जिसमें 883 विद्यालयों में +2 स्तर तक की पढ़ाई होती है। फलस्वरूप उक्त संस्थानों को वित्त सहित कर सरकारी संवर्ग के समान वेतन देने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। राज्य में विभिन्न बोर्ड यथा CBSE/ICSE इत्यादि के अधीन लगभग 450 प्राईवेट विद्यालय भी संचालित हैं। ये सभी बिना किसी अनुदान के संचालित है।</td></tr>
</table>

16/03/2020
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.1–22/2020 581 राँची, दिनांक 16/03/2020

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/03/2020
सरकार के उप सचिव।

(96)

श्री भानु प्रताप शाही, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.03.2020 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0 28

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि Jharkhand Procurement Policy-2014 में लघु उद्योग के प्रोत्साहन के लिए Turnover and Experience से छूट देने का आदेश 07.11.2015 को दिया गया था, कतिपय उत्पाद को भी सम्मिलित करने का JHPP-2014 में सुधार कर जोड़ने का निर्देश दिया गया था;	स्वीकारात्मक Jharkhand Procurement Policy (JPP) 2014 में आंशिक संशोधन विभागीय ज्ञापांक–1342 दिनांक–16.07.2019 के द्वारा करते हुए राज्य में कार्यरत सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाईयों को Annual Turnover & Work Experience से संबंधित निविदा के शर्तों में छूट प्रदान किया गया है। JPP-2014 के एनेक्सर–1 में वर्णित Items under exclusive list reserved for purchase from State Micro and Small Enterprises में अतिरिक्त 35 items को सम्मिलित किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है, उद्योग मंत्री के निर्देश का अनुपालन करके JHPP-2014 में संशोधन तथा Turnover/Experience से छूट का आदेश निकला है;	स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार JHPP-2014 में सुधार कर लघु उद्योग को प्रोत्साहन देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य सरकार के द्वारा राज्य में कार्यरत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को Jharkhand Procurement Policy (JPP)-2014 (यथासंशोधित) में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत छूट एवं अन्य प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–17/2020 321 रांची, दिनांक– 14/03/2020

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–785, दिनांक–05.03.2020 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

97

श्री कमलेश कुमार सिंह, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 17.03.2020 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–30

क्या माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

माननीय मंत्री–

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड प्रदेश में नदी से बालू के उठाव पर प्रतिबंध लगा हुआ है;	अस्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा निजी गृह निर्माण आदि में बालू के उठाव नहीं होने के कारण प्रतिकूल असर पड़ रहा है;	झारखण्ड सरकार, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा अधिसूचित Jharkhand Sand Mining Policy, 2017 के अनुसार बालू घाटों को categorize कर संचालित करने का निर्णय लिया गया है, जो निम्नवत् है:– i. Category- I के बालू घाटों से पंचायत अंतर्गत विकास कार्यों एवं निजी कार्यों हेतु पंचायत द्वारा निःशुल्क बालू उपयोग में लाया जायेगा। ii. Category-II के बालू घाटों का व्यवसायिक संचालन झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि0 के माध्यम से की जायेगी। JSMDC के माध्यम से विभिन्न जिलों में 17 बालू घाट चालू है एवं अन्य चलाने योग्य बालू घाटों के संचालन हेतु MDO बहाली की निविदा निकाली गई है/ प्रकियाधीन है।
3-	क्या यह बात सही है, कि बालू की कालाबाजारी होने के कारण वास्तविक मूल्य से चार से पाँच गुणा अधिक दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे आमजनों को आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	आंशिक अस्वीकारात्मक है। राज्य में अवैध खनिज उत्खनन , भंडारण एवं प्रेषण के रोकथाम हेतु राज्य खनिज एवं जिला स्तरीय खनिज टास्क फोर्स गठित है। जिसके कारण अवैध खनन प्रेषण पर सतत निगरानी की जाती है एवं अनियमितता पाये जाने पर कार्रवाई भी की जाती है।
4-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बालू के सुलभ उठाव हेतु विचार रखती है, तो हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	यथा उपरोक्त।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(अ0सू0)–22/2020 430 /एम0, राँची, दिनांक– 14.3.2020

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–प्र०–827 दिनांक–06.03.2020 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव 2020

98 480 16/03/2020

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री बिरंची नारायण, स.वि.स. से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या अ.सू.-40

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि राँची एवं बोकारो सहित राज्य भर में अवस्थित अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार कानून (Right to Education) का पालन नहीं हो रहा है, जिससे गरीब विद्यार्थी इस कानून/अधिकार का लाभ लेने से वंचित रह जा रहे है;	वस्तुस्थिति यह है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 2(ग) लागू होने के उपरांत प्रत्येक प्रारंभिक विद्यालय द्वारा उक्त अधिनियम का पालन करना अनिवार्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ के द्वारा डब्लू0पी0(सी0) संख्या-416/2012 में न्यायादेश पारित है कि अल्पसंख्यक विद्यालयों में अभिवंचित समूह के कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन की बाध्यता नहीं है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार गरीब विद्यार्थियों के हित में रांची एवं बोकारो सहित राज्य के सभी अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार कानून (Right to Education) लागू करवाने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर कंडिका-1 में सन्निहित है।

16/3/2020
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 16/वि.-1-29/2020.....430..... राँची, दिनांक 16/03/2020

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 957, दिनांक 11.03.2020 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/2020
सरकार के अवर सचिव

575
16/03/2020

श्री प्रदीप यादव, स०वि०स० से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू–10
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, रांची द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल में उत्तीर्ण सात संगीत के शिक्षकों की बहाली गोड्डा जिला में 2018 से स्थानीय जिला शिक्षा पदाधिकारी ने लंबित रखा है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि सात संगीत शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रश्न खड़ा किया जबकि इसी प्रकार के शैक्षणिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों की बहाली अन्य जिलों में संगीत शिक्षक के रूप में हुई और 2019 से अब तक कार्यरत है,	वस्तुस्थिति यह है कि स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2016 के कंडिका-9(I) (iv) में संगीत शिक्षक की नियुक्ति हेतु अर्हता निम्नवत् है :– संगीत शिक्षक के लिये राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत में स्नातक डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता आवश्यक होगी। गोड्डा जिलान्तर्गत संगीत शिक्षक हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसित सात अभ्यर्थी के संबंध में जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर एवं प्राचीन कला केन्द्र, चण्डीगढ़ से संगीत विशारद डिग्री की मान्यता/समकक्षता के संदर्भ में जिला शिक्षा पदाधिकारी/उपायुक्त द्वारा मार्गदर्शन की मांग की गई। अनुशंसित सात अभ्यर्थी की सूची निम्नवत् है :–

क्र. स.	झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी का नाम	संस्थान का नाम (जिसका प्रमाण पत्र अभ्यर्थी द्वारा समर्पित किया गया है)
1	सिपुल कुमार दुबे	प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद
2	धर्मेन्द्र कुमार	प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद
3	अमर रजक	प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद
4	मीरा महतो	प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद
5	ललिता कुमारी	प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद
6	संतलाल मुर्मू	प्राचीन कला केन्द्र, चण्डीगढ़
7	पुष्पा मरान्डी	प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद

उक्त संस्थान द्वारा प्रदत्त डिग्री की मान्यता के संदर्भ में उच्च शिक्षा निदेशालय के माध्यम से प्रयाग संगीत समिति के संदर्भ में प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अंग नहीं है। प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद एवं प्राचीन कला केन्द्र, चण्डीगढ़ का नाम यू.जी.सी. के वेबसाईट पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों की सूची में भी शामिल नहीं है। स्पष्टतः यह मान्यता प्राप्त संस्थान नहीं है। अतएव शिक्षक नियुक्ति नियमावली के आलोक में निर्धारित योग्यता के अनुसार उक्त संस्थान द्वारा प्रदत्त उपाधि धारक अभ्यर्थी संगीत शिक्षक की नियुक्ति हेतु अर्हता नहीं रखते है।

		उक्त संस्थाओं (गैर मान्यता प्राप्त) की डिग्री के आधार पर जिन जिलों में गलत नियुक्ति की गई होगी, उन जिलों के दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जायेगी एवं फर्जी डिग्रीधारी को कार्यमुक्त किया जायेगा। साथ ही W.P(S) No.-1387/2017 सोनी कुमारी बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–18.09.2019 को पारित आदेश के आलोक में नियुक्ति पर वर्तमान में रोक है। इसमें अंतिम आदेश पारित होने के उपरान्त नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई की जायेगी।
3	क्या यह बात सही है कि विभागीय मंत्री से मिलकर इस लंबित मामले की पूरी जानकारी अन्यर्थियों ने दी है,	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस लंबित मामले का निष्पादन अविलम्ब कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वस्तु स्थिति कंडिका–2 में स्पष्ट कर दी गई है।

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.1–09 / 2020 575 राँची, दिनांक 16/03/2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(100)

589
16/03/2020

श्री अनन्त कुमार ओझा, स०वि०स० से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–15

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड, रांची के संकल्प संख्या–3241 दिनांक 19.12.2013 में झारखण्ड राज्यान्तर्गत अवस्थित निबंधित मदरसों को प्रस्वीकृति देने संबंधी संकल्प संख्या–1090 दिनांक 29.11.1980 के भूमि संबंधी एवं अन्य निर्धारित मानक में संशोधन कर संथाल परगना टेनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत प्रभावी मदरसों के जमीन को प्रस्वीकृति दिया गया है,	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि संथाल परगना प्रमण्डल अन्तर्गत खण्ड (1) में उल्लखित संकल्प के आधार पर संचालित मदरसों को झारखण्ड अधिविद्य परिषद द्वारा प्रस्वीकृति भी दी जा रही है, जबकि इनके अतिरिक्त अन्य विद्यालयों को तदनुरूप प्रस्वीकृति नहीं दी जा रह है, जिस कारण शिक्षा व्यवस्था में अंतर परिलक्षित होता है,	कंडिका 1 में वर्णित संकल्प मात्र संथाल परगना प्रमण्डल के मदरसों के लिए प्रभावी किया गया है।यह संकल्प मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के परामर्श से मात्र संथाल परगना प्रमण्डल के मदरसा हेतु निर्गत है।इसे अन्य किसी मामले में प्रभावी वर्तमान में नहीं किया जा सकता है।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित जिस संकल्प के आधार संशोधन कर मदरसों को प्रस्वीकृति दी जा रही है, तदनुरूप संथाल परगना प्रमण्डल में अन्य विद्यालय भी प्रस्वीकृति प्राप्ति हेतु वर्षों से मांग करते रहे है,	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जिस प्रकार खण्ड (1) में वर्णित संशोधन के अनुरूप अन्य शिक्षण संस्थानों को भी प्रस्वीकृत देते हुए छात्र–छात्राओं के शिक्षा व्यवस्था में समानता लाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	यह एक व्यापक विषय है तथा इसका प्रभाव अन्य विभाग पर भी पड़ेगा।इस संबंध में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा ही निर्णय लिया जा सकता है।

16/03/2020
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.1–11/2020........589........ राँची, दिनांक 16/03/2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/03/2020
सरकार के उप सचिव।

(191)

पंचम झारखण्ड विधान सभा का द्वितीय सत्र में दिनांक 17.03.2020 को श्री बिरंची नारायण, स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–39 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में सरकारी तकनीकी विश्वविद्यालय नहीं है;	– अस्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में सरकारी तकनीकी विश्वविद्यालय न होने से विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने या तो राज्य के बाहर जाना पड़ता है, अथवा प्राइवेट विश्वविद्यालय में एक मोटी रकम देकर तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने को बाध्य होना पड रहा है;	– अस्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य में झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित है एवं शैक्षणिक वर्ष 2018–19 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। (झारखण्ड अधिनियम संख्या – 18/2015) झारखण्ड गजट, 08 दिसंबर 2015।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विद्यार्थी हित में राज्य में एक सरकारी तकनीकी विश्वविद्यालय खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	– लागू नहीं।

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक– 01उ0त0/वि0स0–11/2020 210 /राँची, दिनांक– 16.03.2020

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 954 दिनांक 11.03.2020 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सरकार के अवर सचिव)

102

574
16/03/2020

श्री दशरथ गागराई, स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–31
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा, 2016 में सफल हुए इतिहास–नागरिक विषय के अभ्यर्थियों की नियुक्ति राज्य के 18 जिलों में अबतक नहीं हो सकी है ;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, रांची द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या–21/2016 द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2016 का प्रकाशित परीक्षाफल के आलोक में राज्य के 18 जिलों हेतु इतिहास–नागरिकशास्त्र विषय में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक की अनुशंसा आयोग से अप्राप्त है।
2	क्या यह बात सही है, कि इसी प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल अन्य विषयों के सफल अभ्यर्थियों को विभिन्न स्कूलों में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक पद पर पदस्थापित कर दिया गया है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक की नियुक्ति हेतु वर्तमान प्रभावी नियमावली के अनुसार स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक का संवर्ग जिला स्तरीय हो गया है। जिस जिला में अनुशंसा भेजी गई थी, वहां जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा नियुक्ति/पदस्थापन की कार्रवाई की गई है। सम्प्रति W.P.(S) No. 1387/2017 सोनी कुमारी एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार व अन्य में दिनांक 18.09.2019 को पारित आदेश के आलोक में नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित है। अद्यतन जो नियुक्तियां की जा चुकी है, संबंधित नियुक्ति न्यायादेश से आच्छादित होगी।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कंडिका–01 में वर्णित प्रतियोगिता परीक्षा में इतिहास–नागरिक विषय के सफल हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में अग्रतर कार्रवाई की जायेगी।

16/03/2020
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.1–27/2020 574 रांची, दिनांक 16/03/2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं–828 दिनांक 06.03.2020 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/03/2020
सरकार के उप सचिव।

(107)

582
16/03/2020

श्री नलिन सोरेन, स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–38
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि वित्तीय वर्ष 1981–82 चरण के स्वीकृत एवं संचालित परियोजना उच्च विद्यालयों के सभी शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा जारी संकल्प सं.–2367 दिनांक 27.12.2017 द्वारा दिनांक 01.01.1982 नियुक्ति तिथि जो बाद में हो से वेतन भुगतान हेतु आदेश जारी किया गया था;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्रांक–645 दिनांक 06.03.2018 द्वारा दिनांक 01.01.1982 से वेतन भुगतान आदेश में मनमाने ढंग से चयनित सूची में कुछ शिक्षकों का नाम है तथा अन्य शिक्षकों तथा शिक्षकेत्तर कर्मियों का नाम नहीं है जो विभाग के संज्ञान में है ;	वस्तुस्थिति यह है कि बिहार सरकार, शिक्षा विभाग के पत्रांक–406 दिनांक 19.07.1986 की कंडिका–3 के द्वारा वर्ष 1981–82 चरण के परियोजना विद्यालयों के शिक्षकों को दिनांक 01.04.1986 से वेतन भुगतान संबंधी निर्गत आदेश को निरस्त करने हेतु शिक्षकों के द्वारा माननीय न्यायालय में कई वाद दायर किये गये। फलतः W.P.(S) No.-5667/2003 चरित्रा पूर्ति बनाम झारखण्ड राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 24.07.2012 द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में कंडिका–1 के अनुसार जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर वर्ष 1981–82 चरण के परियोजना विद्यालयों के कुल 352 शिक्षकों को दिनांक 01.01.1982 अथवा नियुक्ति तिथि, जो बाद में हो, से निर्धारित वेतनमान में वेतन भुगतान का लाभ दिया गया है। पुनः कतिपय जिला शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा यह सूचित किया गया है कि वर्ष 1981–82 चरण के परियोजना विद्यालयों के कुछ शिक्षकों का दिनांक 01.01.1982 अथवा नियुक्ति तिथि, जो बाद में हो, से निर्धारित वेतनमान में वेतन भुगतान के कतिपय मामले छूटे हुए हैं। जिलों से प्राप्त वैसे छूटे हुए शिक्षकों की सूची का सत्यापन किया जाना आवश्यक है। जिले से प्राप्त सूची के सत्यापनोपरांत मामले में सही दावा का भुगतान संकल्प संख्या–2367 दिनांक 27.12.2017 के अनुरूप निष्पादित किया जायेगा। शिक्षकेत्तर कर्मी के संबंध में पूर्व परिपत्र यथावत् लागू है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शेष शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को नैसर्गिक न्याय के तहत् 01.01.1982 के नियुक्ति की तिथि से वेतन भुगतान करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका–02 में उत्तर सन्निहित है।

16/03/2020
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.1–32/2020.......582 राँची, दिनांक 16/03/2020

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/03/2020
सरकार के उप सचिव।

(104)

श्री मथुरा प्रसाद महतो, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 17.03.2020 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–02

क्या माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

माननीय मंत्री:–

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि राज्य में बालू घाटो पर बालू का उठाव अवैध रूप से चल रहा है, जिससे सरकार को राजस्व की हानि हो रही है;	राज्य अन्तर्गत खनिजों के अवैध खनन/अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु जिला टास्क फोर्स (खनन) गठित है। जिला टास्क फोर्स द्वारा जिला अन्तर्गत अवस्थित बालूघाटों से बालू के अवैध उठाव एवं परिवहन की रोकथाम हेतु निरंतर छापामारी की जाती है तथा बालूघाटों से बालू का अवैध उठाव नहीं हो इस हेतु सतत् निगरानी रखी जाती है। जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा अनियमितता पाये जाने पर समुचित कार्रवाई की जाती है।
2-	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में जो बालू नीति बनी है, उसमें ग्रामसभा को अधिकार नहीं दिया गया है;	वर्तमान बालू खनिज का क्रियान्वयन तथा संचालन झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 यथा संशोधित एवं Jharkhand Sand Mining Policy, 2017 द्वारा किया जाता है। उक्त नीति के कंडिका 3(c) Category 1 के तहत बालूघाटों के Supervision के लिए ग्राम पंचायत उत्तरदायी है। Category-1 के बालूघाट घरेलु उद्देश्य, सामुदायिक उपयोग व सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु शुल्क रहित है। 3(f) के तहत यदि ग्राम पंचायत चाहे, तो सरकार द्वारा निर्धारित दर पर Maintenance Charge वसूल कर सकती है। साथ ही Category-II के बालूघाटो के संचालन हेतु ग्राम सभा द्वारा अनापत्ति/सहमति प्राप्त किये जाने का प्रावधान है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ग्राम सभा को पूर्ण अधिकार देकर बालू उठाव प्रक्रिया अपनाने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	तदैव

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक–वि0स0(अ0सू0)–07/2020 414 /एम0, राँची, दिनांक– 11.3.2020

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 242 दिनांक 23.02.2020 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/03/2020
सरकार के उप सचिव

105

श्री दीपक बिरूवा, मा०स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक 17.03.2020 को पूछित अल्प–सूचित प्रश्न संख्या –29 का उत्तर–

प्रश्नकर्ता	उत्तर दाता
श्री दीपक बिरूवा, मा० सदस्य विधान सभा	श्री मिथलेश कुमार ठाकुर, माननीय प्रभारी मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि राज्य में राष्ट्रीय खेल के आयोजन हेतु मेगा स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के निर्माण के लिए परामर्शी का चयन वर्ष 2004 में किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि निविदा के साथ मैनहर्ट द्वारा दी गई प्राक्कलित राशि के आधार पर परामर्शी का चयन के पश्चात परियोजना निर्माण में 37 प्रतिशत से अधिक राशि की वृद्धि निविदा की शर्तों का उल्लंघन है जिस कारण राज्य की आर्थिक क्षति हुई है;	परियोजना स्कोप परिवर्तन तथा अतिरिक्त कार्य बढ़ोतरी के कारण परामर्शी द्वारा आकलित लागत राशि में बढ़ोतरी हुई थी।
3	क्या यह बात सही है कि कॉम्प्लेक्स निर्माण में राज्य सरकार, भारत सरकार एवं अन्य संस्थानों की धनराशि लगी है;	आंशिक स्वीकारात्मक। परियोजना हेतु राज्य सरकार व Tata Steel Ltd. (TISCO) से राशि प्राप्त हुई है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार परामर्शी के चयन में संलिप्त दोषी व्यक्तियों की उच्च स्तरीय जाँच के साथ दण्डात्मक कार्रवाई का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	परामर्शी का चयन निविदा के माध्यम से गठित उच्च स्तरीय तकनीकी समिति की अनुशंसा पर मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से किया गया था। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण के अनियमितता के आलोक में विधान सभा के विशेष समिति का गठन हुआ था जिसके अनुशंसा के आलोक में महाधिवक्ता से परामर्श प्राप्त करते हुए अग्रेतर कार्रवाई एवं परामर्शी के विरूद्ध कार्रवाई हेतु भवन निर्माण विभाग को अनुरोध किया गया था जिसके आलोक में परामर्शी मैनहर्ट को काली सूची में डाला गया था।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०– 25/2020 339/ राँची, दिनांक 16.03.20

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० 787/वि०स० दिनांक 05.03.2020 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/3/2020

सरकार के संयुक्त सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

106

श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 17.03.2020 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–23

क्या माननीय मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:– माननीय मंत्री:–

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉमन कॉज आदेश के तहत कोयला, लोहा और अन्य खनिज पदार्थों से जुड़े 347 खदानों पर वर्ष 2017 में 43,000 करोड़ की राशि का पेनाल्टी लगाया गया था;	यह बात आंशिक सही है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कॉमन काउज के मामले में पारित आदेश के आलोक में वृहत खनिज यथा– कोयला, लोहा, बॉक्साईट, चूना पत्थर एवं ग्रेफाईट खनिज के खनन पट्टेधारियों पर कुल 39399.69 करोड़ रूपये का मॉग पत्र निर्गत किया गया है।
2-	क्या यह बात सही है कि अब तक सरकार मात्र 1500 करोड़ की राशि ही वसूल कर पायी है;	उपरोक्त मॉग पत्रित राशि के विरूद्ध विभिन्न खनन पट्टेधारियों द्वारा कुल 796.38 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है एवं शेष राशि पर विभिन्न न्यायालयों से स्थगन आदेश पारित होने के कारण वसूली नहीं हो पा रही है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बाकी बचे राशि की वसूली करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	स्थगन आदेश को निरस्त कराने हेतु विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि0स0(अ0सू0)–14 / 2020 424 /एम0, राँची, दिनांक– 13.3.2020

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 616 दिनांक 03.03.2020 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/3/2020
सरकार के उप सचिव

श्री राज सिन्हा, मा०स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक 17.03.2020 को पृच्छित अल्प–सूचित प्रश्न संख्या –33 का उत्तर–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री राज सिन्हा, मा० सदस्य विधान सभा	श्री मिथलेश कुमार ठाकुर, माननीय प्रभारी मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्यभर में कमल क्लब के गठन का निर्णय लिया गया था;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि सभी पंचायतों, प्रखण्डों और जिला स्तर पर कमल क्लब का गठन अब तक नहीं किया जा सका है और उनका एकाउंट भी नहीं खुल सका है जिससे उनहें प्रोत्साहन राशि नहीं मिल सकी है;	अस्वीकारात्मक। पंचायत स्तर पर कुल 4377, प्रखण्ड स्तर पर 262 एवं जिला स्तर पर 24 कमल क्लब का गठन किया जा चुका है।
3	क्या यह बात सही है, कि कमल क्लब के जरिये राशि के अभाव में केवल फुटबॉल टूर्नामेन्ट का ही आयोजन किया जाता है और दूसरे खेलों के लिए कोई टूर्नामेंट आयोजित नहीं हो पाता है;	अस्वीकारात्मक। कमल क्लब के माध्यम से अद्यावधि किसी प्रकार की गतिविधि की सूचना विभाग को प्राप्त नहीं है, यद्यपि इस निमित राशि सभी जिलों में उपलब्ध करा दी गई है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कमल क्लब को ओलंपिक स्तर पर खेले जाने वाले खेलों के अनुसार टूर्नामेंट का आयोजन कराने एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पंचायत, प्रखण्ड एवं जिला स्तर पर युवाओं को सांस्कृतिक, सामाजिक, साहित्यिक, कला, खेलकूद विकास कार्य, कौशल विकास एवं अन्य लोक कल्याणकारी गतिविधियों में सहभागी बनाने हेतु कमल क्लब की स्थापना एवं कमल क्लब योजना का प्रावधान संकल्प संख्या–664 दिनांक 07.06.2016 द्वारा निर्गत है।

झारखण्ड सरकार
<u>पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग</u>

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०– 26/2020 340 / राँची, दिनांक 16-03-2020

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० 830/वि०स० दिनांक 06.03.2020 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/3/2020
सरकार के संयुक्त सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

108

श्री मनीष जायसवाल, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–17.03.2020 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–16

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में आयोजित होनेवाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं को अनिवार्य कर दिया गया है, परन्तु राँची विश्वविद्यालय को छोड़ राज्य के किसी अन्य विश्वविद्यालयों में इन भाषाओं की पढ़ाई नहीं होती है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य के सिर्फ राँची विश्वविद्यालय में पी0जी0 जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना वर्ष 1980 में कर मात्र 09 संबंधित विषय के शिक्षकों की नियुक्ति की जाने के पश्चात् अबतक उक्त शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 में वर्णित विश्वविद्यालय को छोड़ राज्य के अन्य किसी भी विश्वविद्यालयों में संबंधित भाषाओं की पढ़ाई नहीं होने के कारण स्थानीय छात्र–छात्राओं को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है	अस्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में खण्ड–01 में वर्णित भाषाओं की पढ़ाई कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राँची विश्वविद्यालय, राँची के अलावे विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग, डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा एवं नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद एवं सिदो–कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई होती है।

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 1/वि0स0–09/2020 382/ राँची दिनांक– 16/03/2020

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को पत्रांक–382 दिनांक–25.02.2020 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/20

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।